सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 144 राँची, मंगलवार, 9 फाल्गुन, 1938 (श०)
28 फरवरी, 2017 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

संकल्प

23 फरवरी, 2017

विषय - उत्पाद राजस्व संवर्द्धन एवं उपभोक्ताओं को युक्ति-युक्त मूल्य पर गुणवत्तायुक्त मदिरा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा राज्य के सभी जिलों में खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन किये जाने के संबंध में ।

संख्या- 1/नीति-05-07/2015-356-- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड राज्य में राजस्व संग्रहण के दृष्टि कोण से एक महत्वपूर्ण विभाग है । वित्तीय वर्ष 2016-17 के माह दिसम्बर में उत्पाद राजस्व संवर्धन को दृष्टि पथ रखते हुये लक्ष्य के विरूद्ध कम राजस्व संग्रहण की समीक्षा राज्य सरकार के द्वारा की गई । समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि -

1- खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों को दिया जानेवाला लाभांश, अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य का 15 प्रतिशत है । झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा राज्य के सभी जिलों में खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन किये जाने पर, लाभांश के मद में प्राप्त राशि में से आवश्यक खर्च काटने के बाद भी राज्य सरकार को लगभग 120 करोड़ रू० की प्राप्ति सम्भावित है ।

2- मदिरा का बाजार एक नियंत्रित बाजार है । खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों के हाथ में दुकानों के संचालन की व्यवस्था रहने से दुकानें अवैध मदिरा के खपत का स्रोत भी बन जाती हैं । सरकारी तंत्र के द्वारा नियंत्रण

करने से दुकानों के माध्यम से खपाई जानेवाली अवैध मदिरा के खपत में कमी आएगी, फलस्वरूप राजस्व संवर्द्धन होगा ।

3- मदिरा के थोक व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया था । सम्प्रति झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थोक व्यापार से राज्य को लगभग 80-90 करोड़ रू० की राजस्व की प्राप्ति हो रही है । राजस्व संवर्द्धन एवं मदिरा के बाजार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खुदरा उत्पाद दुकानों पर भी सरकारी एजेन्सी के माध्यम से नियंत्रण होना आवश्यक है ।

4- वर्तमान बन्दोबस्ती की व्यवस्था में यह बात दृष्टि गोचर हुआ है कि खुदरा अनुज्ञाधारियों के बीच आपस में कार्टल तैयार हो जाने से कई जिलों यथा पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ की खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं हो पा रही है । अतः सरकार की एजेन्सी के द्वारा दुकानों के संचालन से यह कार्टलाईजेशन भी पूर्ण-रूपेण टूट जाएगा ।

5- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिसम्बर, 2016 में पारित न्याय निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजकीय राजमार्ग के दोनों किनारों से 500 मीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार की मदिरा की दुकान नहीं खोली जा सकती है । अतः वर्तमान संदर्भ में यह भी सम्भव है कि खुदरा उत्पाद दुकानों के स्थल के स्थानान्तरण के कारण वर्तमान में कार्यरत् अनुाज्ञाधारी वित्तीय वर्ष 2017-2018 में खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती लेने के लिए प्रयास नहीं करें ।

6- उपर्युक्त पृष्ठ भूमि के संदर्भ में राजस्व संवर्द्धन एवं उपभोक्ताओं को युक्ति युक्त मूल्य पर गुणवत्ता युक्त मदिरा उपलब्ध कराने तथा मदिरा के व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन करवाया जाए । इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिये राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिये हैं:-

(**i**) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन करने हेतु झारखण्ड उत्पाद अधिनियम की धारा-22 के तहत दिनांक 1 अगस्त, 2017 से अनन्य विषेशाधिकार प्रदान किया जाता है ।

(**ii**) मदिरा के सुचारू आपूर्ति की व्यवस्था एवं राजस्व हित को दृष्टि पथ रखते हुये इस नई व्यवस्था को 1 अगस्त, 2017 से प्रारम्भ किया जाएगा तथा झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अनुज्ञप्ति 31 मार्च, 2018 तक के लिए दी जाएगी । तदुपरान्त झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए अनुज्ञप्ति एक वित्तीय वर्ष के लिए अर्थात 1ली अप्रील से प्रारम्भ होकर आगामी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक के लिए प्रदान की जाएगी । प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में अनुज्ञप्तियों का नवीकरण किया जाएगा ।

(**iii**) कंडिका (**ii**) में वर्णित प्रावधान को लागू करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-1/नीति-40-4/ 2009-367 दिनांक 20 फरवरी, 2009 के द्वारा लागू नई उत्पाद नीति की कंडिका-1 एवं झारखण्ड उत्पाद (शराब की खुदरा अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती) नियमावली, 2009 के नियम संख्या-4 (2) को शिथिल करते हुये, वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यरत् अनुज्ञप्तियों का नवीकरण आगामी वित्तीय वर्ष अर्थात् 2017-18 के 31 जुलाई तक के लिए किया जाएगा । आगामी वित्तीय वर्ष के इस अवधि के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क का निर्धारण

प्रत्येक प्रकार की मदिरा के लिए निर्धारित वर्तमान न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में पाँच प्रतिशत की वृद्धि करते हुये किया जाएगा । अनुज्ञप्तियों के नवीकरण हेतु अभ्यावेदन वर्तमान अनुज्ञाधारी अपने-अपने जिला के जिला उत्पाद कार्यालय में करेंगे । अभ्यावेदन के साथ अनुज्ञाधारी को दो माह का अग्रिम अनुज्ञाशुल्क (बढ़े हुये दर पर) जमा करना होगा । यह राशि आगामी वित्तीय वर्ष के माह जून एवं जुलाई में समायोजित की जाएगी । आगामी वित्तीय वर्ष के अप्रील एवं मई माह का अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने के लिए अवधि पूर्व की भाँति प्रत्येक माह की 20वीं तारीख होगी । प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर जिला के उपायुक्त अनुज्ञप्तियों का नवीकरण राजस्व हित में करेंगे ।

(**iv**) खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराने के लिए वर्तमान में लागू झारखण्ड उत्पाद (शराब की खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती) नियमावली, 2009 को निरस्त करते हुये झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से दुकानों का संचालन करने के लिए अलग से एक नियमावली का गठन किया जाएगा । इस नियमावली के तहत -

(**v**) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु अनुज्ञाशुल्क की राशि 50,000/- रू० प्रति दुकान रखी जाएगी । इसके अतिरिक्त मदिरा का अधिकतम बिक्री मूल्य निर्धारण में वैट एवं उत्पाद कर की दर पूर्व की भाँति ही रहेगी । वितरकता अनुज्ञाधारी द्वारा जमा किये जानेवाले उत्पाद कर की दर पर 10 प्रतिशत के हिसाब से सरचार्ज भी अधिरोपित किया जाएगा । सरचार्ज की यह राशि मद्य निषेध हेतु प्रचार/प्रसार/जागरूकता तथा स्वास्थ्य सुधार संबंधी कार्यों के लिए स्थानीय निकायों को जहाँ पर दुकानें अवस्थित है को उपलब्ध कराई जाएगी । इस व्यवस्था के तहत झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मार्जिन आकलन के आधार पर अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य का 5 से 10 प्रतिशत तक रह सकेगा । वर्तमान में प्राप्त हो रहे खुदरा अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि के बदले झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर '"उत्पाद परिवहन कर" वसूला जाएगा ।

(**vi**) मदिरा के अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य के निर्धारण का फार्मूला उत्पाद अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत सदस्य, राजस्व पर्षदके द्वारा अनुमोदित किया जाएगा । आयुक्त उत्पाद इसी अनुमोदित फार्मूला के आधार पर विभिन्न प्रकार की मदिराओं का अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य निर्धारित कर सकेगें । अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य के निर्धारण के फार्मूला में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर सदस्य, राजस्व पर्षदका अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

(**vii**) इस नई व्यवस्था के लागू होने से कॉर्पोरेशन को सम्भवतः सभी जगह दुकानें उपलब्ध नहीं हो पायेगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिसम्बर, 2016 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में कुछ दुकानें बन्द करनी पड़ेगी, जिसके कारण राजस्व संग्रहण कुप्रभावित होगा । अतः इस नई व्यवस्था में राजस्व क्षतिकी प्रतिपूर्त्ति के लिए मदिरा का अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा ।

(**viii**) प्रारम्भिक आकलन के आधार पर संभावित 750 दुकानों के लिये लगभग 65 करोड़ रू० से 70 करोड़ रू० की व्यवस्था करनी होगी । यह राशि लोन के रूप में झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त किया जाएगा ।

(**ix**) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित की जानेवाली दुकानों के लिए किसी प्रकार की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा नहीं रहेगी, परन्तु दुकानों की अवस्थिति तथा क्षमता के अनुरूप खुदरा उत्पाद दुकानों में बिक्री के लिए लक्ष्य झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा तय किया जाएगा ताकि दुकानें आर्थिक रूप से सक्षम हो सके ।

(**x**) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा राज्य सरकार द्वारा घोषित आदर्श ग्राम, स्वतंत्रता सेनानी ग्राम तथा वैसे पंचायत जहाँ पर अनुसूचित जन जाति की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है तथा कम आबादी वाले कस्बों में खुदरा उत्पाद दुकानें नहीं खोली जाएगी ।

(**xi**) उपर्युक्त के अतिरिक्त झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों के सफल संचालन हेतु सभी बारीकियों को ध्यान में रखते हुये अन्य आवश्यक बिन्दुओं का समावेश भी प्रस्तावित उत्पाद नियमावली में किया जाएगा ।

(**a**) दुकानों की अवस्थिति का निर्धारण एवं दुकानों के संचालन के लिए इसे किराया पर प्राप्त किया जाना:- सर्वप्रथम उत्पाद अधिनियम के तहत वर्णित नियम तथा माह दिसम्बर, 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये न्यायादेश के प्रावधानों के अनुरूप आपत्ति रहित स्थल का चयन एवं तद्नुसार उन स्थलों पर दुकानों के संचालन हेतु स्थल को प्राप्त किया जाएगा । खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए स्थल को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम पूर्व में संचालित दुकानों के मकान मालिक से लिखित सहमति प्राप्त कर दुकान खोला जाएगा । दुकानों का किराया अधिक होने पर उन दुकानों के लिए **swiss challenge** के माध्यम से किराया तय किया जाएगा । **swiss challenge** के माध्यम से यदि किराया की राशि कम प्राप्त होती है तो प्रथम मौका पूर्व में संचालित स्थल के मकान मालिक को दिया जाएगा । **swiss challenge method** के अतिरिक्त उचित दर पर स्थल प्राप्त करने हेतु झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोर्ड के निर्णय के अनुसार अन्य किसी दूसरे विकल्प को भी अपना सकता है, जिसे वे उचित समझें ।

जिला परिषद् /सरकारी दुकान/नगर निगम निर्मित दुकान में भी उपायुक्त परिसर को चिन्हित कर सकते हैं । प्रस्तावित स्थल पर दुकान नहीं मिलने की स्थिति में सरकार उन दुकानों के अधिग्रहण करने के संबंध में भी निर्णय ले सकेगी । यदि आवश्यकता पड़े तो सरकारी भूमि पर भी नये **makeshift** व्यवस्था के तहत दुकान निर्मित व स्थापित किए जा सकेगें जिसके लिए राशि उपायुक्त को दी जाएगी । कार्य हेतु जिला के उपायुक्त को मुख्य जिम्मेवारी दी जाएगी ताकि वे ससमय दुकानों के लिए स्थल उपलब्ध कराकर खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन सुनिश्चित करा सके ।

(**b**) खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना यथा स्कन्ध को रखने के लिए रैक, बिक्री के उपरान्त, कैश रखने के लिए सेल्फ, डिफ्रिजर, कुर्सी-टेबल, कम्प्यूटर, सी०सी०टी०भी० कैमरा आदि की व्यवस्था भी करना होगा । इस कार्य के लिए भी जिला के उपायुक्त को यह जिम्मेवारी दी जा सकेगी कि वे निविदा के माध्यम से अथवा डी०जी० एण्ड डी०एस० दर पर गोदरेज कम्पनी के सामानों का क्रय कर सकते हैं ।

(**c**) मदिरा के स्कन्ध के परिवहन की व्यवस्था के लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बोर्ड की सहमति से लाजिस्टिक सपोर्ट का प्रबन्धन करना होगा ।

(**d**) खुदरा उत्पाद दुकानों के सुचारू रूप से संचालन हेतु विभिन्न स्तर पर कर्मियों की नियुक्ति भी आवश्यक होगी । इन कर्मियों की नियुक्ति बोर्ड की सहमति प्राप्त कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा । एक दुकान के संचालन के लिए कम-से-कम तीन कर्मियों की आवश्यकता होगी । दुकानों की क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार कर्मियों की संख्या दो या चार भी की जा सकेगी । इसके साथ ही झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजरियल लेबल में भी नई नियुक्ति तथा इसकी रिस्ट्रक्चरिंग आवश्यकता अनुरूप की जाएगी ।

(**e**) खुदरा उत्पाद दुकानों के द्वारा बिक्री के उपरान्त प्राप्त कैश की सुरक्षा हेतु भी झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय कृत बैंक से सम्पर्क स्थापित कर उनको अपनी इस नयी व्यवस्था से जोड़ते हुये नकद राशि को सुरक्षित जमा कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था जल्द से जल्द कर लेना होगा ताकि कैश हैण्डिलिंग सुचारू रूप से हो सके ।

(**f**) इस नई व्यवस्था के लागू होने से 31 जुलाई, 2017 के उपरान्त खुदरा उत्पाद दुकानों मेंशेषबचे स्कन्ध को झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा भूतपूर्व खुदरा अनुज्ञाधारियों से उनके खरीद मूल्य पर प्राप्त किया जाएगा ।शेषबचे मदिरा की बिक्री के उपरान्त भूतपूर्व खुदरा अनुज्ञाधारियों के लागत मूल्य को झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा भुगतान किया जाएगा । मदिरा की बिक्री नहीं होने तथा मदिरा/बीयर के स्कन्ध का मानव उपभोग योग्य नहीं रहने की स्थिति में मदिरा/बीयर को नष्ट कर दिया जाएगा तथा भूतपूर्व खुदरा अनुज्ञाधारियों को इसका भुगतान नहीं किया जाएगा । इसके लिए भूतपूर्व खुदरा अनुज्ञाधारी किसी भी प्रकार का दावा किसी न्यायालय में नहीं कर सकेगें ।

(**g**) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दुकानों के द्वारा मदिरा की बिक्री करने के लिए अलग से एक साफ्टवेयर विकसित किया जाना आवश्यक होगा ताकि दुकानों में मौजूद स्कन्ध एवं उसकी बिक्री की गई मात्रा एवं बिक्री के उपरान्त प्राप्त राशि का केन्द्रीय पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके । समयबद्ध रूप से इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेवारी झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एन०आई०सी० अथवा बोर्ड की सहमति के उपरान्त किसी अन्य एजेन्सी को दी जा सकती है । इसके अतिरिक्त झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दुकानों में मौजूद स्कन्ध का थर्ड पार्टी आडिट तथा बीमा की भी व्यवस्था झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को करना होगा ।

(**h**) खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्य क्षमता का संवर्द्धन भी आवश्यक है ।

(**i**) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकान चलाने के निर्णय के आलोक में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के कार्यरत् पदाधिकारी/कर्मी का दायित्व होगा कि वे झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड के निर्णय के अनुरूप खुदरा उत्पाद दुकान के संचालन के क्रम में पर्यवेक्षण में सहयोग करेंगे ।

7- ऊपर वर्णित कार्यों में सहयोग करने तथा झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित किये जानेवाले नये कार्य के समयबद्ध निष्पादन के लिए NCDEX E-MARKETS LTD. (NEML)(expert agency) का सहयोग लिया जाएगा । NCDEX E-MARKETS LTD. (NEML) को

e-procurement के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है । इनके टीम में मदिरा क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले professionals भी हैं । इनके द्वारा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट युनिट (PMU) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत गठित किया जाएगा ,जो त्वरित गति से कार्यों का निष्पादन कर सकेगी । PMU में 4 विशेषज्ञ निगम में कार्य करेंगे तथा दो वरीय विशेषज्ञ NCDEX E-MARKETS LTD. (NEML) के मुख्यालय से पर्यवेक्षण हेतु आते-जाते रहेंगे । इसके लिए इनके द्वारा तीन वर्षों में 62 लाख रू० के खर्च का प्राक्कलन दिया गया है । झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-245 के अधीन वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुये मनोनयन के आधार पर NCDEX E-MARKETS LTD. (NEML) को इस नई व्यवस्था को लागू करने एवं इसके सुचारू संचालन के लिये मनोनीत किया जाता है । मनोनयन के पश्चात् NCDEX E-MARKETS LTD. (NEML) अपना एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित कर झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सभी कार्य में सहयोग प्रदान करेगा ।

8- विभागीय संकल्प संख्या-1/नीति-40-4/2009-367 दिनांक 20 फरवरी, 2009 उपर्युक्त प्रावधानों के अनुरूप इस सीमा तक अवक्रमित/संशोधित समझा जाएगा ।

यह संकल्प अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),
सचिव,
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 144--500